न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 09/2019 (धारा 14 रिक्योरिटाइजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा—सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर जरिये श्री गोविंद कुमार मुख्य प्रबन्धंक, भारतीय स्टेट बैंक, क्षैत्रीय व्यवसाय कार्यालय 04, हनुमानगढ (राज.)।

——प्रार्थी

विरूद्व

1. मैसर्स लक्ष्मी ईंट उद्योग प्रो. श्रीमती भगवन्ती देवी (मृतक) पत्नि श्री मांगी लाल जाट निवासी चक—20 पीबीएन, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

——ऋणी

2. श्री मांगीलाल जाट पुत्र श्री तेजा राम निवासी 1) चक 20 पीबीएन, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, 2) गांव भागसर पो.ओ. परेमपुरा, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. कुमारी प्राची पुत्री श्री मांगीलाल जाट निवासी 1) चक 20 पीबीएन, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, 2) गांव भागसर पो.ओ. परेमपुरा, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़। (राज0)

---उत्तराधिकारी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश

दिनांकः—19.09.2019

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा—सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के वकील को पूर्व में सुना जा चुका है। वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया था कि बैंक ने मूल ऋणी एवं उत्तराधिकारी को नकद साख ऋण सुविधा अप्रार्थीगण की आवासीय सम्पति पत्थर नं. 1/320, मुरबा नं. 22, किला नं. 1,2,3,8,9,12,13 और 18 चक 20—पीबीएन, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ (राज.) जिसका क्षेत्रफल 2.024 हेक्टेयर और 20240 वर्गमीटर, जो कि मूलऋणी

…मति भगवन्ती देवी (मृतक) पत्नि श्री मांगी लाल जाट उत्तराधिकारिगण 1) श्री मांगीलाल जाट पुत्र श्री तेजा राम, 2) कुमारी प्राची पुत्री श्री मांगीलाल जाट के नाम से है, जिसके विरूद्ध दिनांक 13.12.2012 को राशि 15,00,000/–रूपये (अखरे पन्द्रह लाख रूपये मात्र) व दिनांक 13.05.2014 … राशि 15,00,000/–रूपये (अखरे पन्द्रह लाख रूपये मात्र) कुल रूपये 30,00,000/– (अखरे …ीस लाख रूपये मात्र) का ऋण शाखा सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर, द्वारा प्रदान किया था। भारतीय स्टेट बैंक शाखा सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर द्वारा अप्रार्थीगण को नकद साख ऋण सुविधा के तहत प्रदत ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज एवं …र्चों के अदा करने की गारन्टी के रूप में ऋणियों से आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके सम्पति पर प्रतिभूति हित से साम्यक बंधक किया है।

अप्रार्थीगण के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर से ऋण की राशि प्राप्त करने के पश्चात अपने खाते को संतोषजनक तरीके से संचालित नहीं किया …या। अप्रार्थी ने माफिक इकरार किश्त एवं ब्याज की राशि समय पर जमा नहीं करवाने पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर द्वारा अप्रार्थीगण का खाता रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा–निर्देशानुसार गैर–निष्पादनीय आरित (NPA) के रूप में दिनांक 30.04. …017 एवं दिनांक 03.05.2017 को वर्गीकृत किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर की बकाया रकम एवं ब्याज की राशि समय पर अदा नहीं किये …ाने पर अप्रार्थीगण का ऋण खाता गैर–निष्पादनीय आरित (NPA) होने के पश्चात प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर ने अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत …ांग नोटिस दिनांक 14.08.2017 अप्रार्थीगण को देते हुए बकाया रकम 23,74,832/–रूपये (अखरे …ईस लाख चौहत्तर हजार आठ सौ बत्तीस रूपये मात्र) दिनांक 14.08.2017 तक का (ब्याज …िनांक 13.08.2017 तक का) व आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे अतिरिक्त मांग नोटिस मिलने से 60 दिन की अवधि में अदा करने का लिखा गया इस नोटिस में यह भी लिखा कि अप्रार्थीगण …न समयावधि में रकम अदा न किये जाने पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर बकाया रकम की वसूली हेतु साम्यिक बंधकशुदा सम्पति से वसूल करेगा, जिसके तमाम हर्जे एवं खर्चे की जिम्मेवारी अप्रार्थीगण की होगी। मांग नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीगण ने भारतीय स्टेट बैंक शाखा सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर को बकाया रकम न तो अदा की और न …ोटिस का कोई जवाब दिया। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर द्वारा अप्रार्थीगण को एक नोटिस अधिनियम 2002 की धारा 13 (4) के अन्तर्गत दिनांक 07.07. 2018 को प्रेषित किया जिसमें साम्यिक बंधकशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर को सुपुर्द करने का लिखा। अप्रार्थीगण इसके बावजूद भी …की पूर्ण अदायगी प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर के समक्ष …मा नही करवायी गयी है और न ही साम्यिक बंधकशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर को सुपुर्द किया है। इस संबंध में बैंक द्वारा अपना शपथ …त्र भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया है। प्रार्थी बैंक के पास साम्यिक बंधकशुदा आवासीय …ुपाते पत्थर नं. 1/320, मुरबा नं. 22, किला नं. 1,2,3,8,9,12,13 और 18 चक 20–पीबीएन, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ (राज.) जिसका क्षेत्रफल 2.024 हेक्टेयर और 20240 वर्गमीटर जो कि मूलऋणी श्रीमति भगवन्ती देवी (मृतक) पत्नि श्री मांगी लाल जाट उत्तराधिकारिगण 1) श्री मांगीलाल जाट पुत्र श्री तेजा राम, 2) कुमारी प्राची पुत्री श्री मांगीलाल जाट के नाम से है, …सका भौतिक कब्जा बैंक को दिलाये जाने तथा कानून व्यवस्था बनाये हेतु आवश्यक पुलिस …मदाद मुहेया कराये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का …नता से अवलोकन किया। ऋणी एवं सहऋणी द्वारा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को ऋण राशि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत ऋणी एवं सहऋणी को नोटिस दिनांक 14.08.2017 जरिये रजिस्टर्ड भिजवाया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी ऋणी एवं सहऋणी द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा भारतीय स्टेट बैंक के शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी/अप्रार्थी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के एवज में भारतीय स्टेट बैंक के पास बंधकशुदा उक्त आवासीय सम्पति पत्थर नं. 1/320, मुरबा नं. 22, किला नं. 1,2,3,8,9,12,13 और 18 चक 20–पीबीएन, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ (राज.) जिसका क्षेत्रफल 2.024 हेक्टेयर और [illegible]10 वर्गमीटर जो कि मूलऋणी श्रीमति भगवन्ती देवी (मृतक) पत्नि श्री मांगी लाल जाट उत्तराधिकारिगण 1) श्री मांगीलाल जाट पुत्र श्री तेजा राम, 2) कुमारी प्राची पुत्री श्री मांगीलाल जाट के नाम से है जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ एवं प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 19.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़